

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Chaudhary Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/931  
दिनांक : 19/05/2026

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या  
अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
02. विभागाध्यक्ष, समन्वयक, निदेशक,  
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

विषय:-उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के संलग्न पत्र संख्या: डिग्री विकास/431/2026-27 दिनांक: 19.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 19.05.2026 की प्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार संलग्न प्रारूप पर सूचना पी0एड0एफ0 एवं एक्सेल फॉर्मेट में विश्वविद्यालय की ईमेल आई0डी ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in पर दिनांक: 19.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
04. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

✓  
प्रधान सहायक (सम्बद्धता)

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा), उ० प्र०,  
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,  
प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त कुलसचिव  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ ५७१ /2026-27 दिनांक :- १९ / ०५ /2026

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्रांक संख्या-I/1331830/2026/सत्तर-3-2026-2020912

दिनांक 17-05-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

अतएव अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कुल संख्या (अनुमानित व्यय-भार) सहित दिनांक 20-05-2026 अपराह्न 01 बजे तक पी०डी०एफ० एवं एक्सेल फॉर्मेट में (ई-मेल- infodheup@gmail.com) उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासन के आदेशों से आच्छादित है, अतएव आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

संलग्नक- प्रारूप

भवदीय,

डा० (शशि कपूर) 19/5/26  
संयुक्त निदेशक (उ०शि०),  
कृते- शिक्षा निदेशक (उ०शि),  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

महत्वपूर्ण/ समयबद्ध

संख्या- I/1331830/2026 /सत्तर-3-2026- 2020912

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,  
संयुक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 17-05-2026

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुमानित व्यय-भार सहित स्पष्ट प्रस्ताव दिनांक 20-05-2026 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने सम्बन्धित सूचनाये को निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को समयान्तर्गत

प्रारूप

स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालय

क्र०सं०	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	जनपद	महाविद्यालय का नाम	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या (विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित)

राज्य विश्वविद्यालय (परिसर)

क्र०सं०	राज्य विश्वविद्यालय का नाम	कार्यरत नियमित शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या	स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या